

अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28-10-2020 को मध्याह्न 12:00 बजे से नेशनल ब्राडबैंड मिशन योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:- संलग्नानुसार।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2014 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 1449/79-5-2015 दिनांक 21/05/2015 एवं पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या 599/33-3-2015-28/2015 दिनांक 26/02/2015 से अवगत कराया गया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर अभिरक्षक (Custodian) के रूप में ग्राम प्रधान एवं जनपद स्तर पर समन्वयक के रूप में मुख्य विकास अधिकारी को नामित किया गया है तथा जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन उपलब्ध है तथा पंचायत भवनों में जहां सुरक्षा एवं विद्युत व्यवस्था हो, में न्यूनतम 50 वर्गफीट स्थान एवं 200 वाट की विद्युत व्यवस्था सम्बंधित ग्राम पंचायतों को करने के निर्देश दिये गये हैं। बीबीएनएल के कर्मचारियों को एन.ओ.एफ.एन. नेटवर्क /जी.पी.ओ.एन. उपकरण के आपरेशन एवं मैन्टेनेन्स हेतु 24x7 ग्राम पंचायत भवनों में आवागमन की सुविधा रहेगी। जिन ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, उनमें ग्राम प्रधान को अपने स्तर से एक माह के अन्दर उ.प्र. पावर कारपोरेशन से विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया है। ग्राम पंचायत में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का व्ययभार सम्बंधित ग्राम पंचायत को अपने संसाधन से तथा एन.ओ.एफ.एन. नेटवर्क /जी.पी.ओ.एन. उपकरण के संचालन में खर्च होने वाली विद्युत का वहन बीबीएनएल द्वारा वहन किया जाना होगा। इसी प्रकार स्कूलों में भी एन.ओ.एफ.एन. नेटवर्क /जी.पी.ओ.एन. उपकरण के संचालन में खर्च होने वाली विद्युत भार का वहन बीबीएनएल द्वारा वहन किया जाना होगा।

2. बीबीएनएल के प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायतों में स्थापित कनेक्टिविटी के उपयोग हेतु विभागों द्वारा FTTH कनेक्शन हेतु एप्लीकेशन फार्म एवं केवाईसी की औपचारिकतायें पूर्ण कर कनेक्शन प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार कनेक्शन प्रदान करने हेतु केवाईसी आवश्यक है। सुश्री अनीता करवल, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र से अवगत कराया गया है कि पंचायत स्तर पर सीएससी-एसपीवी को शासकीय संस्थानों में जिसमें स्कूल भी सम्मिलित है, सम्बंधित ग्राम पंचायत से FTTH कनेक्शन

उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त कनेक्शन प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 शासकीय विभागों/संस्थानों हेतु एक वर्ष के लिये निःशुल्क है तथा एक वर्ष बाद जो भी टैरिफ निर्धारित होगा, वह देय होगा। निर्देशित किया गया कि मुख्य सचिव महोदय के स्तर से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कराया जाये कि वे जिले के सीएससी-एसपीवी के प्रतिनिधि को बुलाकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 शासकीय संस्थानों में जिसमें स्कूल भी सम्मिलित है, कनेक्शन प्रदान किया जाना है, उनको चिन्हित कर केवाईसी की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये FTM कनेक्शन स्थापित कराये।

3. बीबीएनएल के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव महोदय के निर्देश पर वर्ष 2015 में पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत भवनों में जीपान संयंत्रों की स्थापना हेतु शासनादेश निर्गत किया गया था जिसके आधार पर पंचायत भवनों में स्थापित जीपान संयंत्रों को स्थापित किया गया है, पर ग्राम पंचायतें समुचित रूचि नहीं ले रही हैं तथा ठीक से सुरक्षा नहीं हो पा रही है जिससे उपकरण चोरी होने की शिकायत प्राप्त हो रही है। निर्देशित किया गया मुख्य सचिव महोदय के स्तर से समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत निर्देशों के अनुपालनार्थ शासनादेश निर्गत कराया जाय। उक्त के सम्बन्ध में हुई बैठक में पंचायतीराज विभाग सहमत है।

4. अवगत कराया गया कि अब तक कुल स्थापित जीपान उपकरणों में से लगभग 50 प्रतिशत स्कूलों में स्थापित है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश द्वारा स्कूलों में कनेक्शन प्राप्त करने के लिये समस्त जिलाधिकारियों एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा 14708 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कनेक्शन भी स्थापित किये गये जा चुके हैं। स्कूलों के प्रधानाचार्य द्वारा उपकरणों के कस्टोडियन के रूप में अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है, अतः स्कूलों हेतु पृथक से कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

5. प्रस्तर-2 के अनुसार कार्यवाही हेतु जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से पत्र भेजने पर सहमति बनी।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हो गई।

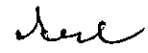
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या:-2131/78-1-2020-81इले0/98 टीसी
लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

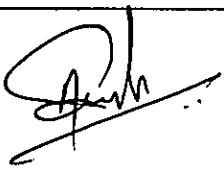
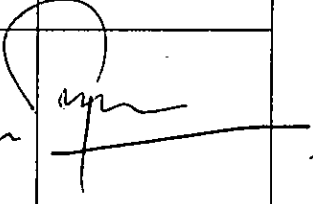
1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सलाहकार/Sr. DG of DoT of the UP (East) & UP (West) LSAs,
दूर संचार विभाग, भारत सरकार-(सदस्य संयोजक)
4. CGM BSNL UP (east) and UP(West) telecom Circle
5. CGM BBNL-State Head UP (east) & UP (West)
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निजी सचिव, विशेष सचिव (आर0/एन0), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. श्री अतुलित राय, स्टेट हेड, सीएससी-एसपीवी, जनसेवा केन्द्र, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उओप्र शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28-10-2020 को मध्याह्न 12:00 बजे से लोक भवन, प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:-

क्र. स.	नाम	पदनाम एवं विभाग	मोबाइल नं०	ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1					
4.	अशोक कुमार रावत	वरिष्ठ सहायक, सी.बी.एन.एल	8765553555	srgmupc.bbn@gmail.com	
5	प्रशांत मिश्रा	राज्य परियोजना प्रबन्धक, पंचायती राज	7318549130	prashant115@gmail.com	
6.	प्रमोद यादव	बी.एस.ए. एन. (नगर)	9435713544	gmnofnupc@gmail.com	
7.	प्रवीण कुमार	DEM, VPLC	9235567201	praveenble@gmail.com	
8.	आ.स.शर्मा	In-charge H/w updation	933507943	singhrama shankarexaloo	